संख्या 781/नौ–2–(47पे0)/2003

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2004

विषय नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के जीर्णोद्वार/पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2003–04 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5354/धनावंटन/ 2003–04 दिनांक 26.03.2004 के संदर्भ में तथा शासनादेश 582/नौ–2(14पे0)/2001 दिनांक 02मार्च,2002 एवं संख्या 2537/नौ–2–(47पे0)/2003 दिनांक 18.11.2003 तथा 2875/नौ–2(47पे0)/2003 दिनांक 15दिसम्बर, 2003 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के पुनर्गठन, जीर्णोद्वार, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 235.00 लाख (रू0दो करोड़ पैतीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी तथा कुमॉयू मण्डल से सम्बन्धित धनराशि आहरण के उपरान्त महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान नैनीताल को तत्काल उापलब्ध कराई जायेगी एंव आहरण से संबंधित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

3. धनराशि व्यय किये जाने एवं कार्य कराये जाने के संबंध में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15दिसम्बर,2003 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि जल संस्थान के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और यदि उनका पी0एल0ए0 खाता नही है तो इसे अपने बैंक खाते में रखा जायेगा। उक्त धनराशि पर समय–समय पर जो भी व्याज देय हो उसे राजकोष में जमा कर शासन को सूचित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का तत्काल उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक– 2215– जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–03–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन/जीर्णोद्वार/सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 3535/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 29 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 781 (1)/नौ–2(47पे0)/2004 तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौडी/नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री।
10. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय,ई0सी0रोड़, देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर सचिव, वित्त (श्री एल.एम.पंत), उत्तरांचल शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0781 /नौ–2–(47पे0)/2003 दिनांक29मार्च, 2003 का संलग्नक

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	अनु०लागत	पूर्व अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
१.	देहरादून	ट्रांस रिस्पना पेयजल योजना में श्रोत संवर्धन (अधोईवाला)	105.74	78.98	26.00
२.	देहरादून	अजबपुर मोथरो वाला ग्रा0स0 पेयजल योजना में श्रोत संबंर्धन (सरस्वती विहार)	92.23	68.00	24.00
३.	हरिद्वार	हरिद्वार पे0यो0	245.88	16.00	60.00
४.	हरिद्वार	रूड़की पे0यो0	74.56	10.00	17.00
५.	नैनीताल	रामनगर पे0यो0	336.00	50.00	74.00
६	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा पे0यो0	182.00	50.00	34.00
	योग :		1802.52	535.88	235.00.

(रू0 दो करोड़ पैतीस लाख मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव